RESEARCH HUB – International Multidisciplinary Research Journal (RHIMRJ)
Research Paper

भारत में भूमंडलीकरण तथा सार्वजनिक क्षेत्र में विकलांगों के रोजगार की स्थिति

पंकज लखेरा

राजनीति विज्ञान विभाग, स्वामी श्रद्धानंद महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय

वर्तमान युग की विभिन्न आर्थिक तथा राजनीतिक अवधारणाओं में भूमंडलीकरण की अवधारणा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भूमंडलीकरण का सामान्य अर्थ संसार के विभिन्न राष्ट्रों की एक दूसरे पर आर्थिक निर्भरता है जिसके अंतर्गत मुक्त बाजार व्यवस्था द्वारा पूरे विश्व को एक बाजार बनाने का प्रयास चल रहा है। एक साधारण व्यक्ति के लिए भूमंडलीकरण का अभिप्राय है लगातार निजी करण तथा दिन प्रतिदिन नित नई प्रौद्योगिकी का विकास तथा प्रयोग। यहां यह उल्लेखनीय है कि इस निजी करण तथा प्रौद्योगिक विकास के पीछे बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भूमंडलीकृत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार व्यापार संबंधी नियमों को लचीला बनाया जा रहा है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि व्यापार के नियमों को लचीला करने से व्यापार बढ़ेगा जिससे तीव्र आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित होगी तथा रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। परंतु यदि दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो भूमंडलीकरण का सीधा प्रभाव सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर होता है। भूमंडलीकरण की नीतियों की वजह से इन उपक्रमों का लगातार निजी करण होता है और फलता सरकारी नौकरियों में कमी आती है। इतना ही नहीं सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी राज्य की सुविधाओं में भी लगातार कटौती की जाती है।

भूमंडलीकरण के दौर में विकलांगों की स्थिति को समझने के लिए हमें विकलांग ता की परिभाषा तथा उनसे जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर विचार करना होगा। विकलांगता अथवा दिव्यांगता का सामान्य अर्थ उस स्थिति से है जब कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक अथवा मानसिक दुर्बलता अथवा कमी के कारण किसी कार्य को करने में बाधा महसूस करता है। यह दुर्बलता किसी अंग में कमी की वजह से हो सकती है अथवा किसी मानसिक विकार के कारण भी हो सकती है। यहां यह ध्यान रखने योग्य है कि विकलांगता का दूरगामी प्रभाव न केवल व्यक्ति के शरीर पर पड़ता है बल्कि उसके सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास पर भी पड़ता है। (भट्ट, 1063)

2016 के विकलांग विधेयक में कुल 21 प्रकार की विकलांगता ओं की चर्चा की गई है। परंतु यहां हमारा सरोकार तीन प्रमुख श्रेणियों से है यथा दृष्टिबाधित श्रवण बाधित तथा अस्थि विकलांग। इसका कारण यह है कि 2016 से पहले इन्हीं तीन श्रेणियों के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में पद आरक्षित थे और विभिन्न आंकड़े इसी आधार पर जुटाए गए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार विकलांगों की जनसंख्या निम्नलिखित तालिका से दिखाई जा सकती है-

Disabled Population by Types of Disability in India: 2011

	Persons	Males	Females
Total	**26,810,557**	**14,986,202**	**11,824,355**
In Seeing	5,032,463	2,638,516	2,393,947
In Hearing	5,071,007	2,677,544	2,393,463
In Speech	1,998,535	1,122,896	875,639
In Movement	5,436,604	3,370,374	2,066,230
Mental Retardation	1,505,624	870,708	634,916
Mental Illness	722,826	415,732	307,094
Any Other	4,927,011	2,727,828	2,199,183
Multiple Disability	2,116,487	1,162,604	953,883

Source: C series census of India 2011

यहां पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि वर्तमान काल में चल रहे भूमंडलीकरण के कारण विकलांगो की स्थिति तथा उनके रोजगार पर क्या प्रभाव दृष्टिगोचर हो रहा है। क्या भूमंडलीकरण उनके लिए अवसरों को बढ़ा रहा है अथवा अधिकाधिक बाधाएं उत्पन्न कर रहा है?

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved *ISSN:* 2349-7637 (Online)

पीटर मार्बल ने वर्ल्ड पॉलिसी जनरल 2015 में उल्लेख किया है कि भूमंडलीकरण वस्तुतः मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों के बीच आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक आदान-प्रदान होता है जिससे पूरी मानव जाति की उन्नति होती है। (मार्बर, 2015)

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि भूमंडलीकरण का लाभ भारत जैसे देशों को प्राप्त हुआ है। इसी की वजह से आज भारत दुनिया की सर्वाधिक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। परंतु यह केवल एक पक्ष है। यदि हम भूमंडलीकरण के दूसरे पक्ष को देखें तो हम पाते हैं कि भूमंडलीकरण का अर्थ लगातार निजी करण तथा उससे उत्पन्न समस्याएं हैं। भूमंडलीकरण के कारण विश्व में असमानता बढ़ती जा रही है। व्यापार के उचित तथा अनुचित तरीके अपनाए जा रहे हैं। श्रमिक वर्ग का शोषण हो रहा है और उनके रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं है। ढांचागत सुधारों के कारण कल्याणकारी राज्य का दायरा लगातार सीमित होता जा रहा है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अत्यधिक उपभोग के कारण बढ़ रहे हैं और यह उपभोग पर्यावरण को भी खराब कर रहा है। इतना ही नहीं भूमंडलीकरण के कारण राज्य की शक्ति में भी कमी आ रही है।

भूमंडलीकरण अथवा वैश्वीकरण के विकलांगो के रोजगार पर पढ़ने वाले प्रभाव को समझने के लिए हमें भूमंडलीकरण के पहले तथा इसके बाद की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा।

वैश्वीकरण के आरंभ से पूर्व भारत में विकलांगों के रोजगार की स्थिति

रोजगार की स्थिति वस्तुतः किसी भी देश के आर्थिक ढांचे तथा नीतियों पर निर्भर करती है। स्वतंत्रता के पश्चात तथा वैश्वीकरण से पूर्व भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया जो योजनाबद्ध विकास पर आधारित थी। इस ढांचे में सार्वजनिक क्षेत्र की प्रधानता थी। उस युग में सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय तथा सामाजिक महत्व के समस्त उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना था। उस समय विकास का उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना समझा जाता था जो समानता तथा समाजवाद की धारणा पर आधारित हो और जिसमें धनी तथा निर्धन का अंतर कम से कम हो। 1948 और 1956 की औद्योगिक नीति में राष्ट्रीय महत्व के सभी उद्योगों को राज्य के स्वामित्व में रखा गया जिनमें कोयला उद्योग, लोहा तथा स्पात उद्योग, जलयान वायुयान निर्माण उद्योग, दूरभाष तथा दूरसंचार उद्योग, रेल उद्योग, प्रतिरक्षा तथा परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष विज्ञान प्रमुख है। (गिल, 1985)

इतना ही नहीं उपरोक्त उद्योगों के अतिरिक्त जन महत्व की सभी सुविधाएं जैसे बिजली पानी यातायात संचार शिक्षा स्वास्थ्य आदि प्रदान करना काफी हद तक राज्य की जिम्मेदारी थी। उस समय सभी शिक्षित व्यक्तियों जिनमें विकलांग भी शामिल थे, के लिए सार्वजनिक क्षेत्र रोजगार प्राप्ति का प्रमुख क्षेत्र था।

यहां यह उल्लेखनीय है कि भारत जैसे देशों में वस्तुतः सार्वजनिक क्षेत्र ही विकलांगों को समूचे तथा पक्का रोजगार दिलाने में सक्षम है। यह रोजगार प्राया आरक्षण की नीति के कारण उपलब्ध होता है। सरकारी नौकरी अथवा रोजगार केवल एक रोजगार नहीं है बल्कि अपने आप में संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा है। सरकारी कर्मचारी की सेवा शर्तें उसे सुरक्षा प्रदान करती हैं उसकी सेवा की अवधि निश्चित होती है जिससे पूर्व उसे निकाला नहीं जा सकता। समय पर वेतन उसमें वृद्धि पदोन्नति तथा सेवानिवृत्ति के पश्चात विभिन्न सुविधाएं सरकारी नौकरी के ऐसे लाभ हैं जो निजी क्षेत्र कभी प्रदान नहीं कर सकता।

यदि हम विकलांगों के सरकारी नौकरी में आरक्षण की बात करें तो 1977 का वह कार्यकारी आदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसमें यह कहा गया है कि विकलांगों की तीनों श्रेणियों अर्थात दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित तथा अस्थि विकलांग लोगों को कुल मिलाकर 3% आरक्षण दिया जाएगा जिनमें से प्रत्येक श्रेणी के लिए 1% आरक्षण होगा। यह आरक्षण कुछ चिन्हित सरकारी नौकरियों पर लागू होगा। आरंभ में या आरक्षण चतुर्थ तथा तृतीय श्रेणियों की सरकारी नौकरियों तक सीमित था लेकिन धीरे-धीरे इसे प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के पदों पर भी लागू कर दिया गया। 1995 के विकलांग विधायक ने इस आरक्षण को और अधिक सुदृढ़ तथा स्पष्ट कर दिया। (Serene, 2009: 228_229)

आरक्षण के प्रावधान का लाभ विकलांगों को मिलना 1980 के दशक में आरंभ हुआ जब राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ जैसे संगठनों ने इसे लागू कराने के लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाए। इस संदर्भ में 16 मार्च 1980 का व्यापक आंदोलन उल्लेखनीय है। यह आंदोलन संसद के सामने हुआ जिसमें पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया। इस घटना से विकलांगों के रोजगार की समस्या पर सभी लोगों का ध्यान गया जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल जनसाधारण तथा जनसंचार माध्यम के साधन प्रमुख थे। इस आंदोलन की गूंज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सुनाई दी और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1981 को विकलांग वर्ष घोषित किया। (चंद्र, 2011)

1980 के दशक में भारत के विकलांगों का शिक्षा तथा प्रशिक्षण की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इसीलिए उस समय जो श्रमिक बल तैयार हुआ वह निचले स्तर की सरकारी नौकरियों के लिए ही उपयुक्त था। इसीलिए उस समय विभिन्न आंदोलनकारी संगठनों का जोर चतुर्थ तथा तृतीय श्रेणी की नौकरियों को प्राप्त कराने पर था। उस समय आरक्षण भी वास्तव में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी यों की सरकारी नौकरियों में ही था। (रुंगटा, 2016)

इस संदर्भ में 1987 का विशेष भर्ती अभियान उल्लेखनीय है। इस अभियान के अंतर्गत बहुत से विकलांग लोगों को निम्न श्रेणी लिपिक तथा विद्यालय के अध्यापकों के पद पर भर्ती किया गया। यह भर्ती आरक्षण के आधार पर थी। (चंदर, 2011)

जब तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में आरक्षण मिलने लगा तो उससे प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों में आरक्षण की मांग को बल प्राप्त हुआ। इसके लिए 1987 से संघर्ष तीव्र हो गया। इस संघर्ष के परिणाम स्वरुप केंद्र सरकार ने एक आदेश निकाला की प्रथम तथा द्वितीय श्रेणियों की भर्तियों में विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाए। 1993 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया कि विकलांगो तथा विशेष रूप से दृष्टिबाधित लोगों को भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए तथा यदि वह इसमें उत्तीर्ण होते हैं तो उन्हें भर्ती भी किया जाए। न्यायालय ने यह भी कहा कि सरकार को प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में विकलांगों के आरक्षण पर विचार करना चाहिए। (रुंगटा, 2016)

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved

ISSN: 2349-7637 (Online)

परंतु उपरोक्त प्रयासों के बावजूद प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में कोई आरक्षण नहीं मिल पाया। यह स्थिति 2005 तक बनी रही। अतः पुनः संघर्ष आरंभ हुआ और कोई ठोस सफलता 2007 तक ही मिल पाई। (रुंगटा, 2016)

यहां हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए के 1990 के पश्चात यदि कुछ उपलब्धि हुई तो वह भूमंडलीकरण का परिणाम नहीं थी बल्कि उन आंदोलनों तथा न्यायिक निर्णयों का परिणाम थी जिनके लिए अत्यधिक संघर्ष किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि वैश्वीकरण के आरंभ से पूर्व भारत में विकलांगों की रोजगार के अवसर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे। यद्यपि उनके लिए संघर्ष करना पड़ा परंतु फिर भी एक आशा थी कि कभी ना कभी रोजगार के सभी अवसर आरक्षण के यथोचित कार्यान्वयन से प्राप्त हो जाएंगे। (रुंगटा, 2016)

भूमंडलीकरण का विकलांगों के रोजगार पर प्रभाव

जुलाई 1991 में भारत ने वैश्वीकरण की नीति को अपनाया। इस नीति के प्रमुख घटक है निजी करा उदारीकरण तथा वैश्वीकरण। इस नीति को अपनाने के पीछे अनेक महत्वपूर्ण कारक थे। 1991 तक आते-आते भारत की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि आयात के लिए कुछ महीनों काही विदेशी मुद्रा भंडार उपलब्ध था। 1989 से 1991 के बीच दो बार सरकार गिरना तथा भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या ने राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न कर दी। इन अंतरिक्ष कारणों के अतिरिक्त सोवियत संघ का विघटन तथा समाजवादी नीतियों की विफलता ने भारत को अपनी नीति में बदलाव करने के लिए विवश कर दिया। यह वह समय था जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजार की शक्तियां भारत को एक खुली अर्थव्यवस्था बनाने के प्रयास में लग गई। (गुप्ता, 1992)

उपरोक्त नीति को अपनाने का एक अन्य कारण सार्वजनिक क्षेत्र की विफलता भी था। यह माना गया कि अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक नियंत्रण के कारण औद्योगिकरण को भारी धक्का पहुंचा है। सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारी तथा कर्मचारी भ्रष्ट है और देश पर बोझ है। ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था को लगातार हानि पहुंच रही है। (गुप्ता, 1992)

जुलाई 1991 में भारत ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लिया जिसकी कुछ शर्ते थी। सबसे पहले भारत को अपनी मुद्रा का अब मूलीयन करना पड़ा ताकि हमारे निर्यात सस्ते हूं और विश्व बाजार में उनकी ज्यादा बिक्री हो। इसके कारण हम अपना ऋण समय से चुका पाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण कदम था अधिकांश उद्योगों पर से लाइसेंस व्यवस्था को खत्म करना तथा विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाना। यह भी निर्णय लिया गया की घाटे में चल रहे सरकारी उपक्रमों का विनिवेश किया जाएगा। राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए विभिन्न वस्तुओं पर सब्सिडी को समाप्त किया जाएगा और विभिन्न सरकारी सेवाओं का निजी करण किया जाएगा। (गुप्ता, 1992)

अगर हम ऊपरी तौर पर देखें तो यह नीति बहुत अच्छी प्रतीत होती है जिसमें तेजी से आर्थिक वृद्धि को सुनिश्चित किया जा सकता है। परंतु दूसरी ओर इस नीति का एक दूसरा पक्ष भी है। भूमंडलीकरण का सीधा सा अर्थ यह है कि किसी भी देश की अर्थनीति उसकी आंतरिक सीमाओं तथा राष्ट्रीय हितों तक सीमित नहीं है। वैश्वीकरण के कारण नित नई प्रौद्योगिकी देश में आती है जो ऑटोमेशन अर्थात अधिक से अधिक मशीनीकरण को जन्म देती है। इस नीति का सीधा प्रभाव रोजगार के अवसरों पर पड़ता है। भूमंडलीकरण के दौर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। ऐसी स्थिति में प्रतियोगिता में बने रहने के लिए वे उत्पादन की लागत को कम करना चाहती हैं। लागत को कम करने के लिए न केवल मशीनीकरण होता है बल्कि श्रमिकों की संख्या भी कम से कम रखी जाती है। इस प्रक्रिया के कारण निचले स्तर के रोजगार में लगातार कमी होती जा रही है। यह प्रवृत्ति सार्वजनिक तथा निजी दोनों प्रकार के उपक्रमों में देखी जा सकती है। इस बात में कोई संदेह नहीं की यदि सामान्य श्रमिकों तथा रोजगार के अवसरों में कमी आती है तो इससे विकलांगों के रोजगार पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। (रुंगटा, 2016)

निम्नलिखित तालिका श्रम शक्ति में कमी को दर्शाती है-

Growth of Workforce, 1981-2001 Census

Fig in Lakh

Census Year	Total Population		Total number of Workers (main+marginal workers)		% of workforce in population		% increase in work-force in 1981-1991 & 2001	
	India	Delhi	India	Delhi	India	Delhi	India	Delhi
1981	6851.85	62.2	2446.04	20.02	35.7	32.19	-	-
1991	8463.05	94.21	3141.3	29.8	37.12	31.63	28.42	48.85
2001	10270.15	137.83*	4025.12	45.27*	39.19	32.84	28.14	51.91

*** Provisional**

Source: Employment Handbook 2016

उपरोक्त तालिका में हम पाते हैं कि 1981 से 2001 के बीच दिल्ली तथा भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है परंतु उस अनुपात में श्रम शक्ति में वृद्धि नहीं हुई है। वास्तव में राष्ट्रीय स्तर पर इसमें कमी आई है।

इसी प्रकार यदि हम रोजगार कार्यालय के आंकड़ों को देखें तो हम पाते हैं कि 1990 से 2013 के बीच विकलांगों के रोजगार में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है।

निम्नलिखित तालिका से यह बात स्वता स्पष्ट हो जाती है-

Figures for Special Exchange for Physically Handicapped.

Information collecting from June 1998. (In Thousands)

Year	Placement				
	Blind	**Deaf and Dumb**	**Orthopedics**	**Total**	**Women****
All Employment Exchanges *					
1990	0.3	0.2	3.4	3.9	
1991	0.3	0.3	4	4.6	
1992	0.2	0.2	3.9	4.3	
1993	0.2	0.2	4	4.5	
1994	0.2	0.1	4.2	4.5	
1995	0.2	0.2	3.3	3.7	
1996	0.2	0.2	3.4	3.9	
1997	0.4	0.3	3.8	4.5	
1998	0.3	0.2	3.2	3.6	0.5
1999	0.2	0.2	3.8	4.2	0.9
2000	0.2		3	3.3	0.7
2001	0.2		3.1	3.5	0.7
2002	0.4	0.3	2.7	3.4	0.7
2003	0.4	0.4	3.1	3.9	1
2004	0.2	0.3	2.9	3.4	0.8
2005	0.3	0.3	2.6	3.2	0.7
2006	0.4	0.3	2.6	3.4	0.6
2007	0.4	0.3	2.6	3.4	0.7
2008	0.3	0.3	3.1	3.7	0.8
2009	0.3	0.2	2.8	3.3	0.8
2010	0.3	0.2	2.6	3.2	0.8
2011	0.3	0.2	2.8	3.3	0.7
2012	0.2	0.1	1.8	2.1	0.5
2013	0.2	0.1	1.6	1.9	0.4

Source: Employment Handbook 2016

यदि हम एक अन्य शोध के तथ्यों पर विचार करें तो पता चलता है कि 1991 से 2002 के बीच विकलांगों के रोजगार में कमी आई है जिसका सीधा कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का कम होना है। 1991 में विकलांगों के रोजगार का प्रतिशत 42.7 था जो 2002 में 37.6 रह गया। (मित्रा तथा संभव मूर्ति, 2006: 199_203)

1991 से वैश्वीकरण की जिस नीति को अपनाया गया उसकी वजह से उच्च प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी परिवहन तथा सेवा क्षेत्र का बहुत विस्तार हुआ। इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बड़े हैं। लेकिन यह विकास निम्न श्रेणी के अकुशल श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न नहीं कर पाया। इसका कारण यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र जो ऐसे क्षेत्रों में निवेश करता है जिसमें अकुशल अथवा कम कुशल श्रमिकों को रोजगार मिल सकता है, मैं लगातार कमी हो रही है। इस नीति का प्रभाव विकलांगों के रोजगार पर भी दिखाई देता है। (भंवरी, 2005)

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved

ISSN: 2349-7637 (Online)

आर्थिक उदारीकरण के दौर में सरकारी विभाग भी ऐसा दृष्टिकोण और नीतियां अपना रहे हैं जिनकी वजह से आरक्षण प्राप्त करना मुश्किल हो गया है। सरकारी विभागों में नियुक्ति की संख्या लगातार कम होती जा रही है और उसमें आरक्षण प्राप्त करने के लिए न्यायालय का आश्रय लेना पड़ता है और सड़कों पर आंदोलन भी करना पड़ता है। (रुंगटा, 2016)

सरकार ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि विकलांगों के लिए सरकारी नौकरियों में दिए गए 3% आरक्षण में से अब तक मात्र 1.2 प्रतिशत आरक्षण ही दिया जा सका है। इसमें 60% आरक्षण अस्थि विकलांग लोगों को, 25% आरक्षण मूक बधिर ओं को तथा मात्र 15 प्रतिशत आरक्षण दृष्टिबाधित को मिला है। (रुंगटा, 2016)

आज भूमंडलीकरण के युग में सरकारी विभागों पर यह दबाव है कि वह अपना खर्चा कम करें और कुशलता को बढ़ाएं। इसीलिए यह विभाग आरक्षण को देने में प्राया आनाकानी करते हैं और अनुच्छेद तरीकों का इस्तेमाल भी करते हैं ताकि आरक्षण न दिया जाए। हाल ही में विकलांगों के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया गया जिसके अंतर्गत रेलवे विभाग में दृष्टिबाधित के लिए पद आरक्षित थे। बहुत से दृष्टिबाधित व्यक्तियों का चुनाव तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए हुआ। परंतु उन्हें अमन कारणों का हवाला देते हुए नियुक्ति नहीं दी गई। कुछ को जानबूझकर नियुक्ति पत्र नहीं पहुंचाए गए। कुछ को यह कहकर नहीं नियुक्त किया गया कि वे उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं हालांकि यह सरकारी प्रावधान है कि ऐसी स्थिति में इस प्रकार के व्यक्तियों को 1 महीने का समय दिया जाता है जिसमें वह ठीक हो जाएं और फिर सरकारी सेवा शुरू कर सकें। (रुंगटा, 2016

रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा

यह तर्क दिया जा सकता है कि निजी करण तथा उदारीकरण के दौर में रोजगार बढ़ रहा है। पर क्या यह रोजगार सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है जो हमें सरकारी नौकरी से प्राप्त होती है?

उदारीकरण से पहले बहुत से लोग सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यरत थे जहां उन्हें स्वता सामाजिक सुरक्षा प्राप्त थी। सरकारी कर्मचारी अपने रोजगार को लेकर चिंतित नहीं होते। उनका रोजगार एक निश्चित अवधि के लिए होता है जिसमें उन्हें समय पर वेतन पदोन्नति तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्हें पेंशन तथा अन्य सुविधाएं मिलती हैं। भूमंडलीकरण के आरंभ से पहले सरकार स्वयं श्रमिकों के अधिकारों को खुला समर्थन देती थी और विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार के श्रम कानूनों को पारित किया गया था। उस समय सरकार तथा न्यायालय दोनों ही श्रमिक यूनियन आंदोलनों को समर्थन देते थे। सामान्य श्रमिकों के अतिरिक्त इन सब प्रावधानों का लाभ विकलांग श्रमिकों को भी मिलता था। जब भी श्रमिकों को मालिकों से शिकायत होती थी यह हड़ताल तथा आंदोलन करते थे। उस जमाने में न्यायालय भी श्रमिकों का पक्ष लिया करता था। (सिंह, 2016)

भूमंडलीकरण के दौर में यह नीति काफी हद तक बदल गई है। भूमंडलीकरण का दौर पूंजी श्रम तथा तकनीकी मुक्त आवागमन का दौर है। सरकार लगातार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का विनिवेश कर रही है। विभिन्न सरकारी विभागों में पुराने लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं और नई नई नियुक्तियां नहीं हो रही है। सार्वजनिक क्षेत्र लगातार सीमित हो रहा है और निजी क्षेत्र तथा विदेशी निवेश बढ़ता जा रहा है। भारत के अधिकांश श्रम कानूनों की समस्या यह है कि उसे संगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर ही लागू होते हैं। कृषि तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर यह कानून लागू नहीं होते। यही कारण है कि निजी क्षेत्र की कंपनियां श्रमिकों को स्थाई नियुक्ति नहीं देती। उनकी नियुक्ति अनुबंध पर आधारित होती है। अतः उन्हें श्रम कानूनों की सुरक्षा नहीं मिल पाती। (सिंह, 2016)

निजी क्षेत्र की कंपनियां या तो विकलांग श्रमिकों को नियुक्त नहीं करती और अगर करती भी है तो यह अनुबंध पर होता है। ऐसी स्थिति में उन्हें किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती।

कुछ महत्वपूर्ण सुझाव तथा निष्कर्ष

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया का विकलांगों के रोजगार पर अधिकांशत विपरीत प्रभाव पड़ा है। परंतु प्रश्न यह है कि आखिर क्या किया जाए। हमें यह मानना पड़ेगा कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया रोकी नहीं जा सकती। अगर विश्व में बदलाव आ रहे हैं तो हमें भी बदलना होगा। हमें नई स्थितियों के साथ ही संतुलन स्थापित करना होगा।

सर्वप्रथम भूमंडलीकरण तथा उदारीकरण की प्रक्रिया मानवीय आधार पर होना चाहिए। इसका उल्लेख हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह ने किया है। भूमंडलीकरण के अंतर्गत एक संतुलित सामाजिक तथा आर्थिक विकास को बल प्रदान किया जाना चाहिए। आर्थिक विकास तथा वृद्धि की नीतियां बनाते समय कृषि सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगार उपलब्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए। रोजगार रहित आर्थिक वृद्धि के स्थान पर इस तरह की आर्थिक वृद्धि होनी चाहिए जो रोजगार उत्पन्न न करें। (सिंह, 2004)

यह एक सत्य है कि सार्वजनिक क्षेत्र सभी रोजगार के इच्छुक विकलांग व्यक्तियों को रोजगार नहीं दे सकता। चाहे आरक्षण संपूर्ण रुप से क्यों ना लागू कर दिया जाए पर फिर भी सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। अतः विकलांग व्यक्तियों को इस प्रकार की उच्च स्तरीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण मिलना चाहिए जिससे वे खुले बाजार में अन्य लोगों के साथ प्रतियोगिता कर सकें और निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सकें। इस क्षेत्र में सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 2016 के विकलांग विधेयक में विकलांगों को स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण देने की बात कहीं गई है। इससे एक ओर वे निजी क्षेत्र में जा सकते हैं और दूसरी ओर स्वरोजगार भी आरंभ कर सकते हैं। इतना ही नहीं आरक्षण का अनुपात 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। जो निजी कंपनियां विकलांग लोगों को रोजगार देती हैं उनको करों में छूट देने का प्रावधान भी है। (रुंगटा, 2016)

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved

ISSN: 2349-7637 (Online)

परंतु फिर भी हमें मानना पड़ेगा कि कोई भी कानून अथवा विधेयक एक सैद्धांतिक प्रावधान है। व्यवहारिक रूप में उससे रोजगार प्राप्त नहीं हो सकता। कोई विधेयक यह नहीं कह सकता कि यदि बाजार में प्रबंधकों और सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की आवश्यकता है तो उन विकलांग लोगों को रख लिया जाए जो किसी तरह इसके लिए उपयुक्त नहीं है। (रुंगटा, 2016)

विकलांग लोगों को श्रम बाजार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से उन्हें पर्याप्त शिक्षा तथा उचित प्रशिक्षण देना आवश्यक है। सर्व शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रम शिक्षित लोगों की संख्या तो बढ़ा सकते हैं परंतु उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं कर सकते। ऐसी शिक्षा से जो श्रम शक्ति निकलकर आएगी वाह रोजगार के लायक नहीं होगी। यह सच है कि विकलांगों की स्कूली शिक्षा सामान्य लोगों के साथ सामान्य स्कूलों में होनी चाहिए। परंतु विशेष विद्यालयों की आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे विद्यालय एक विशेष माहौल में विकलांग छात्रों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं। (रुंगटा, 2016)

वस्तुतः किसी भी समाज में सम्मान तथा समानता प्राप्त करने का साधन आर्थिक स्वतंत्रता तथा समृद्धि होता है। विकलांग लोगों के काम करने तथा रोजगार प्राप्त करने से उनके प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। अगर कोई विकलांग व्यक्ति रोजगार कर रहा है और स्वाभिमान पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा है तो उसके विरुद्ध भेदभाव संभव नहीं है। (रुंगटा, 2016)

विकलांगों के प्रति समाज का दृष्टिकोण सकारात्मक बनाने के लिए हमें बहुआयामी रणनीति का प्रयोग करना होगा। सर्वप्रथम विकलांग श्रमिकों को अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक और बेहतर काम करके दिखाना होगा। ऐसे कदम से न केवल उनके प्रति बल्कि अन्य विकलांग लोगों के प्रति भी समाज का दृष्टिकोण बदलेगा। (रुंगटा, 2016)

उपरोक्त कदमों तथा नीतियों से समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन आएगा। इसके अतिरिक्त अर्थनीति में भी बदलाव आएंगे जो समन्वय वादी तथा सकारात्मक होंगे। यह परिवर्तन भूमंडलीकरण के दौर में विकलांगों को रोजगार दिलाने में सहायता करेगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएगा।

संदर्भ सूची

1. भट्ट, उषा, 1963. *फिजिकली हैंडीकैप्ड इन इंडिया: ए ग्रोइंग नेशनल प्रॉब्लम*, बॉम्बे, पॉपुलर बुक डिपो
2. भाम्भरी, सी. पी., 2005. *ग्लोबलाइज़ेशन: इंडिया, नेशन, स्टेट एंड डेमोक्रेसी*, इंडिया, शिप्रा पुब्लिकेशन्स.
3. गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया, 2011. *सी सीरीज सेन्सस ऑफ़ इंडिया*
4. गिल, इस. पी., मई 1996. *द नेहरुवियन पैटर्न ऑफ़ डेवलपमेंट, कंटेंट्स, रूट्स, लॉजिक, डिक्लाइन एंड कोलेप्स*, (मेमे) न्यू डेल्ही
5. गुप्ता, एस. पी., मई 1996. *इकनोमिक रिफार्म एंड इट्स इम्पैक्ट: रिपोर्ट ऑन फिंडिंग्स*, पेपर प्रेसेंटेड इन आईसीआरआईईआर- फोर्ड फाउंडेशन सेमिनार ऑन इकनोमिक लिबरलाइज़शन एंड इट्स इम्पैक्ट, न्यू डेल्ही
6. *मनमोहन फॉर रिफॉर्म्स विथ ह्यूमन फेस*, लोक सभा एलेक्शंस, रेडिफ.कॉम, एक्सेस्ड ऑन 18-01-2017 एट 9 पीएम
7. मरबेर, पीटर, 2004. *ग्लोबलाइज़ेशन एंड इट्स कंटेंट्स*, वर्ल्ड पॉलिसी जॉर्नल
8. मित्र, सोफी एंड साम्बमूर्ति, उषा, 2006. *एम्प्लॉयमेंट ऑफ़ पर्सन्स विथ डिसैबिलिटीज, एविडेंस फ्रॉम द सैंपल सर्वे*, सोर्स: इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, वॉल्यूम 41, नं. 3 (जन. 21-27, 2006), पीपी. 199-203, पब्लिश बाय; इकनोमिक एंड पोलिटिकल वीकली, स्टेबल यूआरएल: http://www.jstor.org/stable/4417696 , एक्सेस्ड: 15/11/2014 02:52
9. मोदी, नरेंद्र ऍप, *द राइट्स ऑफ़ पर्सन्स विद डिसैबिलिटीज बिल 2016 पास्ड बाय पार्लियामेंट*, रिट्राइव्ड फ्रॉम http://www.narendramodi.in at 9 pm on 18-01-2016.
10. रूंगटा, एस. के. डिसेम्बर 2016, *पर्सनल इंटरव्यू*
11. सरीन, रमेश, 2009. *पॉलिसी पर्सपेक्टिव फॉर विज़ुअली इम्पेयर्ड, पोस्ट अपार्थेड साउथ अफ्रीका एंड इंडिया*, न्यू डेल्ही, अकादमिक एक्ससीलेंस
12. सेनगुप्ता, अमित, 2003. *हेल्थ इन द ऐज ऑफ़ ग्लोबलाइज़ेशन, सोशल साइंटिस्ट*, वॉल्यूम 31 नं. 11/12, नवंबर- डिसेम्बर 2003
13. सिंह, जयवीर, 2009. *लेबर लॉ एंड स्पेशल ऐकोनोइस ज़ोन्स इन इंडिया*, सी.एस.एल.जी. वर्किंग पेपर सीरीज, न्यू डेल्ही, अप्रैल 2009

2016, RHIMRJ, All Rights Reserved

ISSN: 2349-7637 (Online)